

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



Ref. No. Affi./523
Dated: 25/5/24.

TO WHOM IT MAY CONCERN

This is to certify That Sankalp Institute of Law, Campus: 158, Duhai, Delhi-Meerut Road, Ghaziabad (U.P.) is affiliated to the Ch. Charan Singh University, Meerut and the following Courses/Subjects are taught in the said College as per approval.

S.N.	Name of the Course	Status
1.	LLB (Three Years)	Permanent Affiliation


22/05/2024
Registrar

115

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/1026

दिनांक : 15.6.2015

सम्बद्धता आदेश

असाधारण गजट नोटिफिकेशन संख्या-975/79- वि-1-14-1(क)19/2014 दिनांक 18.07.2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा-37 की उपधारा-2 द्वारा प्रदत्त अधिकार के तहत माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में संकल्प इस्टीमेट ऑफ लॉ, दुहाई जिला-गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शिक्षकों का अनुमोदन अपेक्षित होने, गाटे सटे होने का प्रमाण पत्र एवं वर्ष 2012-13 की बैलेंस शीट अपेक्षित होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है।

01. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
02. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियाँ यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण किये जाने में यदि समय लगना सम्भावित हो तो विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता आदेश तत्काल निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा।
03. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष 15 अगस्त तक प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
04. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
05. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने को कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

अतः कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार संकल्प इस्टीमेट ऑफ लॉ, दुहाई जिला-गाजियाबाद को विधि संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर एल-एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2015 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि संस्थान द्वारा दिनांक 30.06.2015 तक शिक्षकों के अनुमोदन का प्रमाण पत्र, गाटे सटे होने का प्रमाण पत्र एवं वर्ष 2012-13 की बैलेंस शीट विश्वविद्यालय को उपलब्ध करा देगा अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

यु.ए. 15/6/15

कुलसचिव

[Signature]

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सचिव, संकल्प इस्टीमेट ऑफ लॉ, दुहाई जिला-गाजियाबाद ।
3. सचिव, बार कौंसिल ऑफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू इस्टीमेटयूशनल एरिया, नई दिल्ली-2।
3. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी, कमेंटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
6. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल/परीक्षा) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रभारी, इंटरनेट को इस आशय के साथ प्रेषित कि वह संदर्भित संस्थान/पाठ्यक्रम का नाम बैवसाइट पर डालने का कष्ट करें।
8. गार्ड फाइल हेतु।

यु.ए. 15/6/15

कुलसचिव

[Signature]

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

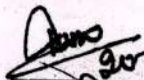


पत्रांक :- सम्बद्धता/1528
दिनांक : 20.6.2019

जिस किसी से सम्बन्धित हो

प्रमाणित किया जाता है कि संकल्प इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, 158 दुहाई, गाजियाबाद को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ से सम्बद्ध स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय है तथा महाविद्यालय में एल0एल0बी0 (तीन वर्षीय) पाठ्यक्रम संचालित है तथा विश्वविद्यालय द्वारा उक्त पाठ्यक्रम में महाविद्यालय को दिनांक 01.07.2018 से स्थाई सम्बद्धता प्राप्त है।

भवदीय


कुलसचिव